11.3.25. पत्रावली पेश हुयी। वकील उभयपक्ष हाजिर हैं। वाद में बहस सुने एक माह से अधिक समय हो गया। अधिवक्ता उभयपक्षकारान की वाद-पत्र पर पुनः बहस सुनी गयी।

उभयपक्षकारान की बहस के

फर्द अहकाम

बनाम

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम — किशन नारायण [illegible] श्रीमद्भगवान [illegible]

नाम न्यायालय [illegible]

मिसल संख्या 5/2012 1/3/2012

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	11/3/25	दौरान जाहिर तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन उपरान्त तनकी वार निर्णय निम्न प्रकार से है — तनकी सं-1 आया वादी के खसरा नं. 792, 806, 807, 808, 810/2 कुल किता 5 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम कालवाड़ तह० जयपुर के खातेदार काश्त हैं, उक्त आराजी में प्रतिवादीगणों को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है। — जिम्मे वादी तनकी सं.2 आया वादी के कब्जे काश्त की भूमि ख.न 791 के लिए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है — जिम्मे वादी तनकी सं.3, आया वादी, प्रतिवादी के कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि ख नं. 791 पर किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। — जिम्मे प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
जयपुर-शहर प्रथम

फर्द अहकाम

सहायक कलेक्टर न्यायालय शहर प्रथम

मेजर नारायण सिंह / बनाम / ओमप्रकाश वगै॰

संख्या ९ लगा॰ 13/2012

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष
	11 3/25	तनकी सं॰ 1 लगा॰ 3 को एक साथ निर्णीत किया जा रहा है। वादी ने यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा -188 राज॰ काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश किया है। वादी ने वाद के चरण सं-1 में उल्लेखित भूमि खसरा नं. - 792 रकबा 1 बीघा 18 बि॰ खसरा नं. 806 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा खसरा नं. 807 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा खसरा नं. 808/1 रकबा 16 बिस्वा खसरा 810/2 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा का काबिज काश्तकार होना बताया है। इसके अतिरिक्त खसरा 791 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा पर कब्जा होना बताया है। वादी ने आगे कथन किया है	

सहायक कलेक्टर
शहर प्रथम

फर्द अहकाम

बनाम [illegible]

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या 6109 / 13/2012

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	11/3/25	कि प्रतिवादी 1 व 2 पड़ोसी काश्तकार है, खसरा नम्बर 791 राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं- 2 के नाम दर्ज है। वादी ने वाद के चरण सं-1 में उल्लेखित भूमि के साथ-साथ खसरा नम्बर 791 पर प्रतिवादी सं-1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अनुतोष चाहा है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में जमाबंदी संवत 2067- 2070, खाता सं-61, ग्राम - कालवाड तह० जयपुर पेश की है, जिसमें वादी, वाद के चरण संख्या -1 में उल्लेखित भूमि पर बतौर काश्तकार दर्ज है। इस दस्तावेज को

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

बनाम

(परमानन्द सिंह / [illegible])

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

संख्या 113/2022

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	11.3.2025	प्रदर्श P-1 के रूप में शामिल किया गया है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में अपने स्वयं का साक्ष्य शपथ-पत्र पेश किया है, जिसमें वाद में उल्लेखित तथ्यों को पुनः सशपथ दोहराया है। साक्ष्य की प्रति परीक्षा के दौरान वादी ने यह स्वीकार किया है कि खसरा नम्बर-791 प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रतिवादीगणों ने जवाबदावा पेश कर कथन किया है कि खसरा नम्बर 792 एवं 806 पर वादी कभी कब्जा-काश्त नहीं रहा। बल्कि उक्त भूमि पर	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

बनाम

(प्रेमनारायण सिंह / ओमप्रकाश व अन्य)

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या 6106 - 11/3/2012

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	11/3/25	मिन प्रतिवादीगण निरन्तर काबिज काश्त है। दूसरा, खसरा नं. 791 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा मिन प्रतिवादीगण नं. 2 की क्रयशुदा कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। अतः खसरा नं. 792, 806 व 791 पर वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी ने प्रतिवाद स्वरूप बतौर मौखिक साक्ष्य प्रतिवादी सं-1 का साक्ष्य शपथ-पत्र पेश किया है। प्रतिवादी ने शपथ-पत्र में अपने जबावदावे के कथन को सशपथ दोहराया है। उपर्युक्त दावा, जबावदावा.

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

न्यायालय

संख्या [illegible]

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	11.3.2025	दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नं. 791, वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ना होकर प्रतिवादी सं- 2 के नाम दर्ज है। अतः खातेदार अधिकारी न होने से खसरा नम्बर - 791 पर स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने का कोई locus-standi वादी को नहीं है। दूसरा, वाद के चरण सं-1 में उल्लेखित भूमि में से खसरा नं. 792 एवं 806 पर काबिज काश्त होने का सशपथ कथन प्रतिवादी सं-1 ने किया है। वादी द्वारा इन खसरा नम्बरों पर निर्बाध	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

बनाम

[illegible] / [illegible]

नाम न्यायालय [illegible] जयपुर शहर [illegible]

केस संख्या [illegible]/2012

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	11/3/25	काबिज रहना संदेह से परे साबित नहीं हो पाया है। ~~अतः~~ खसरा नं. 792 व 806 को छोड़कर शेष भूमि पर वादी के काबिज होने पर कोई उज्र नहीं है। अतः तनकी सं.-1 ~~[illegible]~~ वादी के पक्ष में आंशिक रूप से निर्णीत की जाती है। तनकी सं.-2 वादी के विरुद्ध एवं तनकी सं.-3 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है। **आदेश** विवादित भूमि में से खसरा नम्बर 791, 792 एवं 806 को छोड़कर शेष भूमि पर प्रतिवादीगणों को स्थायी

[signature]

फर्द अहकाम

बनाम

कार्यालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम [illegible] / [illegible]

[illegible] - 11/3/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
11-3-25	निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के काश्त एवं खातेदारी की भूमि में दखल- अंदाजी नहीं करें, किसी तरह से अतिक्रमण व निर्माण नहीं करें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 11.03.2025 को सुनाया गया। पत्रावली, कैफल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	